



-आदेश-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 02/03/23  
को रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार छोटीसादडी का अनुसार के  
आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम 02/03/23  
तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
संख्या 64 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर  
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	सेटलमेण्ट से पूर्व प्रविष्टि (शुद्ध प्रविष्टि)	सेटलमेण्ट के बाद की प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि का सेटलमेण्ट में दर्ज को जानी है।
1	02/03/23	64		कन्हैमालाल पिता बुवाजीराज	कन्हैमालाल पिता हरिशराज

वरिष्ठ अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

(दिनेश कुमार मण्डोवरा)  
उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

लोक अदालत केम्प 02/03/23

दिनांक:- 30.5.18

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, छोटीसादडीको भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर प्रालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री कन्हैमालाल पि. हरिशराज को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार मण्डोवरा)  
उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी

Ban